न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट

रीवा (म.प्र.)

478
10-11-14

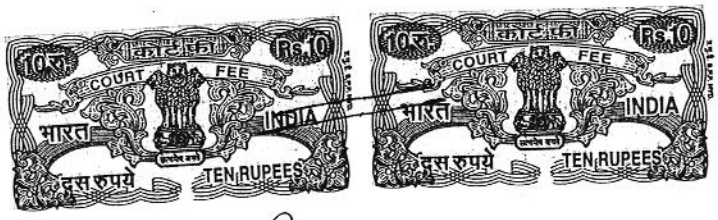

Rs. 20/-

R - 3900 - III/14

मानेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व. सत्य नारायण सिंह, उम्र 47 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी सिरमौर रोड खुटेही, तहसील हुजूर, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

के.डी. सिंह तनय स्व. श्री गंगा सिंह, उम्र 57 वर्ष, पेशा वकालत, निवासी मोहल्ला खुटेही, तहसील हुजूर, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... अनावेदक / गैर निगरानीकर्ता

श्री एस.के.एस. तिवारी एड. के द्वारा आज दिनांक 10-11-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ________ को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, रीवा, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 193 / अपील / 2012–13 आदेश दिनांक 08.09.2014 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

क्रमांक 3630
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 13-11-14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है :–

यह कि आवेदक / निगरानीकर्ता ने ग्राम खुटेही की भूमि खसरा नं. 175 / 1झ रकबा 0.026 हेक्टे. के जुज़ रकबा 15x50 यानी 750 वर्गफिट भूमि पर अनावेदक द्वारा गेट व बाउण्ड्री वाल गिरवाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त भूमि आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है जिस पर अनावेदक को नोटिस

10/11/14

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-2900/II/14 जिला रीवा

महेन्द्र प्रताप सिंह विरुद्ध केo डीoसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-01-16	प्रकरण में आवेदक अधि० श्री राकेश कुमार निगम उप० उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी अपर आयुक्त के प्र०क्र० 193/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 8-9-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 8-9-14 का परिशीलन किया गया। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों से यह प्रकट हो रहा है कि आवेदक द्वारा अपने खाते के सर्वे क्र० 174/2 के बजाय सर्वे क्रमांक 175 के अंश भाग पर अवैध कब्जा कर गेट एवं बाउन्ड्री का निर्माण किए जाने की स्थिति में पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कब्जा हटाये जाने हेतु 250/32(2) की कार्यवाही M.P.L.R.C के तहत की गई। तह० की उक्त कार्यवाही आदेश दिनांक 22-3-12 के विरुद्ध अनु० अधि० के समक्ष अपील की गई जो आदेश दिनांक 31-10-12 से निरस्त कर दी गई। अनु० अधि० के इस आदेश दिनांक 31-10-12 के विरुद्ध अना० द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई जहां अपील प्र०क्र० 193/अ/12-13 में पारित आदेश दिनांक 8-9-14 से अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश	

[कृ. प. उ.

2

R. 2900/111/14 — शेष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	महेन्द्र प्रताप सिंह — के०बी० सिंह	

दिनांक 31-10-12 निरस्त किया जाकर प्रकरण अनु० अधि० को इस निर्देश के साथ वापस भेजा गया कि " अनु० अधि० स्वतः मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण कर नाप कराकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

उपरोक्त विवेचना से प्रकरण में यह तथ्य विशेष विचारणीय है कि संहिता की धारा 49 में दिसम्बर 2011 में हुए संशोधन के पश्चात अपील प्रकरण को अधी० अधिकारी को प्रतिप्रेषण करने पर पूर्णतः प्रतिबंध है इसके बाद भी अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण प्रतिप्रेषित किए जाने से यह स्पष्ट है कि या तो उन्हें संहिता में वर्णित विहित प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है या उनके द्वारा जानबूझ कर संहिता में वर्णित प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। म०प्र०भू-राजस्व संहिता में वर्णित नियम एक कानून है जो पक्षकारों को न्याय प्रदान करने के लिये बनाए गये हैं इसके साथ ही न्यायालय की पवित्रता को बनाए रखने के लिये कानून का पालन किया जाना न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का परम कर्तव्य है, किन्तु इस प्रकरण में पारित प्रत्यावर्तन आदेश संहिता में निहित प्रावधानों का उल्लंघन होकर न्यायालय की गरिमा एवं पवित्रता को ठेस पहुँचाने के समान है। इस संबंध में पूर्व में कुछ प्रकरणों में पारित आदेशों के द्वारा विशेष रूप से अपर आयुक्त का ध्यान आकर्षित कराया गया है।

अतः अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 8-9-14 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यवाही स्वयं करें तथा प्रकरण में

12.1.16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2900/III/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	महेन्द्रसिंह कार्यवाही तथा आदेश केशवसिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सम्पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें। यह भी ध्यान रखा जावे कि भविष्य में संहिता की धारा 49 में निहित प्रावधानों के प्रकाश में ही अपील प्रकरणों में आदेश पारित किए जावें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा० रि० हो।	
	12.1.16 सदस्य	